(b) the effect of this on the students so far; and

(c) whether similar project for the development of elementary education would be organised and if so, the details thereof?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) and (b). Extension Services have been provided in 93 Training Colleges covering about 11,700 High and Higher Secondary Schools. As a means of in-service training of teachers and of promoting improved educational practices in the schools, they have met with considerable success.

(c) Yes, Sir. Extension Services have already been provided in 29 Training Institutions for Primary Teachers.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know the main objectives of these extension service centres started in the training institutions?

Dr. K. L. Shrimali: These centres provide in-service training for teachers. They are set up at the training colleges, and they organise discussion groups, seminars, and refresher courses to teachers who are already in service. That is the main purpose. They are intended to help the teacher to improve his professional competence continuously.

Shri P. Venkatasubbaiah: Apart from these centres, may I know whether Government propose to start similar units and similar centres so as to cater to high schools and secondary schools?

Dr. K. L. Shrimali: In the new centres and units which we propose to set up during the remaining period of the Third Five Year Plan, we propose to cover all the training colleges, and subsequently all the high schools and higher secondary schools under this scheme.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether any investigation has been made to measure the attitudes of the teachers including the Headmasters to this scheme?

Dr. K. L. Shrimali: The scheme has been universally welcomed, and the people have been asking for more centres, and there is a great demand for them.

मंत्रियों को भत्ते

\+

*८०२ {
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कछवाय :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री बड़े :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में वर्षवार मंत्रियों, राज्य-मन्त्रियों, उपमन्त्रियों तथा सभा-सचिवों को उनके वेतन के अतिरिक्त पृथक् पृथक् (व्यक्तिशः) कुल कितना भत्ता दिया गया ; और

(ख) क्या उन में से कुछ ने वर्तमान संकटकाल में स्वेच्छा से अथवा सरकारी प्रेरणा से अपने भत्तों में कमी की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है, और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[(a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course].

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: यह प्रश्न इस सदन में कई बार उठाया जा चुका है । १३ मई १९६१ को, २८ मई, १९६२ को, ३१ मई १९६२ को और जैसा इस प्रश्न से ही विदित होता है २९ मार्च, १९६२ को भी यह प्रश्न उठ चुका है । हमेशा इसका एक ही घिसा हुआ सा उत्तर दे दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि कि क्या सरकार अपनी दुर्बलता के कारण सार्वजनिक आलोचनाओं से बचने के लिये इस सूचना को छिपाये रखना चाहती है ?

श्री हजरनवीस : जब कि यहां यह कहा गया है कि सभा पटल पर रख दी जाएगी तो इसका मतलब है कि जरूर रख दी जाएगी और जल्दी से जल्दी रख दी जाएगी . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कितने सालों के बाद ?

श्री हजरनवीस : हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सूचना दी जाए वह पूरी दी जाए और वह सत्य हो ।

श्री बागड़ी : क्या यह सूचना बाहर से आनी है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको किस ने इजाजत दे दी ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस से पहले जो आडिटर जनरल थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि एक सैंट्रल मिनिस्टर के ऊपर ६,५०० रुपये प्रति मास व्यय किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कहां तक सत्यांश है । और सरकार ने इस चीज़ को दूर करने के लिये अथवा इस सम्बन्ध में कोई आदेश या निर्देश दिए हैं ।

श्री हजरनवीस : यह सवाल इस में से नहीं उठता है । यह मैंने अखबारों में तो पढ़ा था लेकिन सवाल इस में से नहीं निकल सकता है । यह ठीक है, मैं नहीं कह सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े नहीं देते हैं । वे आप पर सवाल फैंकते हैं कि इतना किया जा रहा है, आप उसको भी डिनाई नहीं करते हैं . . .

श्री हजरनवीस : मेरे कहने का मतलब यह है कि ६५०० रुपये जो मिनिस्टर का खर्चा बताते हैं उस में हमारी तनख्वाह होगी, हमारे घर का किराया होगा, दूसरा खर्चा आ सकता है, लेकिन इसके बारे में तो मैं हां या न में कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री बागड़ी : मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कि जो आंकड़े इकट्ठे किये जाने हैं वे दफ्तर से ही इक्कट्ठे किये जाने हैं तब फिर इस में इतनी देरी लगने का क्या कारण है ?

श्री हजरनवीस : बात यह है कि जो सवाल पूछा गया है वह सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ के बारे में है । सन् १९६१-६२ के बारे में जो आंकड़े आये हैं वे पूरे आ गये हैं, लेकिन मैं ने कहा है कि उन की दुबारा विशेष जांच की जाय ताकि सदन पटल पर जब सूचना रक्खी जाये तो उस में पूरी सूचना रक्खी जाय कि रेलवे पर कितना खर्च हुआ, वाहनों पर कितना खर्च हुआ, मंत्रियों को उनके बारे में ऐलाउंसेज कितने मिले, डेली ऐलाउंस कितना मिला । मैं यह सब अलग अलग देना चाहता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन दिनों भारत की कोटि कोटि जनता

श्रमदान करती है उन श्रमदान के दिनों का भत्ता भी मिनिस्टर लोग लिया करते हैं ?

श्री हजरनवीस : मेरा अनुभव यह है कि मिनिस्टरों को जितना अलाउंस मिलता है उससे कहीं ज्यादा उन का खर्चा हो जाता है ।

Shri Tyagi: Part (b) of the question does not entail collection of information requiring time. It asks: whether in view of the present emergency some of them have curtailed their allowances voluntarily or at the instance of the Government? I wonder why this could not be answered.

Shri Hajarnavis: Unless I receive categorical replies from each Minister, I will not be in a position to make a statement on their behalf.

Shri Surendranath Dwivedy: There is no voluntary cut even!

अध्यक्ष महोदय : वैसे यह मेरा काम तो नहीं है कि मैं कुछ कहूं, लेकिन जितनी देर लगेगी उतना ही माननीय सदस्यों के दिलों में शक पैदा होगा । अगर इस सूचना को गवर्नमेंट देना चाहती है तो जितनी जल्दी हो सके दे, और अगर नहीं देना चाहती है तो साफ कह दे ।

श्री हजरनवीस : मैं आप को और सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी जल्दी

श्री बागड़ी : इस में बहुत देर हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं तो उस में आप दखल दे रहे हैं ।

श्री हजरनवीस : मैं आप को और आप के जरिये से सदन को आश्वासन देता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं यह सूचना सदन पटल पर रख दूंगा ।

श्री बागड़ी : मेरा निवेदन है कि इमर्जेन्सी के हालत के अन्दर सरकार की नीति स्पष्ट है कटौती करने की तो क्या आप ने कुछ त्याग करने का फैसला किया है या नहीं ? इसका आप कलेक्शन करने के पहले फैसला करेंगे या जब आंकड़े इकट्ठा करेंगे उस के बाद फैसला करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यही सवाल नहीं था जो त्यागी जी ने पूछा था ?

श्री बागड़ी : मैं तो अंग्रेजी समझता नहीं, इसलिये मुझे नहीं मालूम ।

अध्यक्ष महोदय : इसका सवाल भी हो गया और इस का जवाब भी हो गया, बागड़ी साहब, मैं आप से फिर दोहराये देता हूं ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९६१, १९६२ और १९६३, इन तीन वर्षों के अन्दर कुछ मंत्रियों ने जो अपने परिवार के साथ सफर किया है देश के भिन्न भिन्न बड़े बड़े नगरों में और अपने निजी कामों के लिये भी सफर किया है, उन का भत्ता सरकारी काम के बहाने से लेने वाले कितने मंत्री हैं, और कितना भत्ता लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल नहीं उठता ।

श्री बागड़ी : यह बात तो इसी पर खुलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा कि गवर्नमेंट यह बात यहां देना चाहती है तो जितनी जल्दी हो सके इस का जवाब यहां पर दे, इस से ज्यादा आप और क्या बहस करेंगे । इसलिये मैंने यहां पर तीन चार सवाल करने दिये उस के बाद डिस्कशन बन्द कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह चीज जल्दी से जल्दी आये और माननीय सदस्य जो सवाल पूछना चाहें वह पूछ लें । इसलिये तो मैं यह कह रहा हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसके तीन साल हो गये हैं ।

Shri Gauri Shankar Kakkar: Let it come during this session.

श्री बागड़ी : यह बहुत अहम मसला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस को अहमियत समझता हूं। इसीलिये तो मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट को इस का जवाब देना है तो उसे जल्दी से जल्दी हाउस के सामने दिया जाये।

श्री कछवाय : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

Incidence of Crimes in Delhi

\+

*803. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Bagri:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Heda:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Buta Singh:
Shri Inder J. Malhotra:
Shri Daji:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Sham Lal Saraf:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that incidence of crimes is increasing daily in the Capital;

(b) whether it is a fact that the number of untraced criminals is higher than that of the traced ones; and

(c) if so, the steps Government have taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Figures of registered crime have shown an increase from 14,918 in 1960 to 15,629 in 1961 and 18,341 in 1962. It would not be correct to infer from these figures, however, that incidence of crime is increasing. Much of the rise is explained by deliberate efforts made by police to ensure full registration of cases during the last two years.

(b) It is not possible to relate the number of traced criminals to untraced criminals. However, the majority of cases are detected and the average detections are approximately 57 per cent.

(c) Among the important steps to check crime in Delhi are:

(1) The working of Delhi Police has been exhaustively reviewed and substantial increases in strength sanctioned so as to intensify patrolling and surveillance;

(2) Mobile patrols by cars and cycles have been increased and is likely to be increased further shortly;

(3) Mobility of police has been improved by providing it with additional vehicles and radio communication facilities;

(4) The level of investigating staff at all Police Stations is being upgraded; and

(5) More intensive use is being made of scientific techniques for the detection of crime.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रेस को यह रिपोर्ट सही है या नहीं कि दिल्ली में रोजाना एक आत्महत्या का केस होता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं, आत्महत्या का यहां पर रोज एक केस होता है, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यहां रजिस्टर्ड क्राइम्स केसेज कितने होते हैं और अनरजिस्टर्ड कितने होते हैं ?